

निर्णय बाइजलास गोपाल लाल बंजारा (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा (राज.)

प्रकरण सं. 07/2022

दायर दिनांक 11/02/2022

उनवान

1. श्रीमती मईली पत्नी श्री रामा जाति भील उम्र वयस्क निवासी प्रतापगढ हाल मुकाम केवलपुरा बासंवाडा (राज.) (वादी)

बनाम

1. श्रीमती कमला पत्नी स्व. श्री फकीरा खांट जाति खांट
2. किरण पुत्री स्व. श्री फकीरा खांट जाति खांट
3. सुरज पुत्र स्व. श्री फकीरा खांट जाति खांट निवासीयान खांटवाडा बासंवाडा, तहसील व जिला बासंवाडा (राज.)
4. श्रीमान् तहसीलदार साहब बांसवाड़ा (राज.)

(प्रतिवादीगण)

उपस्थिति

1. श्री तसलीम एहमद अधिवक्ता वादी
2. ——— अधिवक्ता प्रतिवादी

वाद बाबत् बंटवारा अन्तर्गत धारा 53, 209 आर.टी.एक्ट

निर्णय

दिनांक: 19/12/2023

पत्रावली पेशी हुई।

न्यायालय हाजा के जारी आदेश प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 06.04.2023 की पालना रिपोर्ट तहसीलदार बांसवाडा के पत्राक रीडर/2022/3480 दिनांक 29/11/2022 द्वारा प्रेषित फर्द बंटवारा फहरिस्त प्रस्तुत हुई जो शामिल पत्रावली किया गया। बहस सूनी गई।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी ने प्रारम्भिक डिक्री एवं तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार अन्तिम डिक्री जारी करने का निवेदन किया। चूंकि प्राथमिक डिक्री एवं राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी मे दर्ज हिरसे अनुसार तहसीलदार बासंवाडा द्वारा जो फर्द बंटवारा फहरिस्त प्रस्तुत की उसका तथा पत्रावली का अवलोकन किया। वादी अधिवक्ता का निवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार वादीया श्रीमती मईली को सर्वे नं. 245/124/1 मे रकबा 0.2265 हैक्टेयर भूमि किस्म काली चरनोई लगान 0.04 रु. संलग्न नक्षे अनुसार, प्रतिवादीगण श्रीमती कमला, किरण एवं सुरज को


उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

सर्वे नं. 245/124/2 मे रकबा 0.0728 हैक्टियर भूमि किस्म काली चरनोई लगान 0.02
रु. संलग्न नक्षे अनुसार विभाजन की अंतिम डिक्री के रूप में निर्णित किया जाता है।

अंतिम डिक्री जारी हो। अंतिम डिक्री मय प्राथमिकी डिक्री पालना रिपोर्ट की
प्रमाणित प्रति राजस्व रिकार्ड में अंकन बाबत् तहसीलदार बांसवाड़ा को प्रेषित की जावे।
नक्सा ट्रेस निर्णय का अहम भाग रहेगा।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय
टंकित करवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

24/12/23
उपरखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)
बांसवाड़ा

डिक्री व मुकदमे की इब्तजाई

(आ. 20 नियम 17 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत:—उपखण्ड अधिकारी, मुकाम : बांसवाड़ा व इजलास: गोपाल लाल बंजारा(आ.ए.एस.)

प्रकरण सं. 07 / 2022

उनवान मुकदमा

1. श्रीमती मईली पत्नी श्री रामा जाति भील उम्र वयस्क निवासी प्रतापगढ हाल मुकाम केवलपुरा बासंवाडा (राज.) (वादी)

बनाम

1. श्रीमती कमला पत्नी स्व. श्री फकीरा खांट जाति खांट
2. किरण पुत्री स्व. श्री फकीरा खांट जाति खांट
3. सुरज पुत्र स्व. श्री फकीरा खांट जाति खांट निवासीयान खांटवाडा बासंवाडा, तहसील व जिला बासंवाड़ा (राज.)
4. श्रीमान् तहसीलदार साहब बांसवाड़ा (राज.) (प्रतिवादीगण)

वाद बाबत् बंटवारा अन्तर्गत धारा 53, 209 आर.टी.एक्ट

निर्णय

दिनांक: 19 / 12 / 2023

संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू, हमारे पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार वादीया श्रीमती मईली को सर्वे नं. 245/124/1 मे रकबा 0.2265 हैक्टेयर भूमि किस्म काली चरनोई लगान 0.04 रू. संलग्न नक्षे अनुसार, प्रतिवादीगण श्रीमती कमला, किरण एवं सुरज को सर्वे नं. 245/124/2 मे रकबा 0.0728 हैक्टेयर भूमि किस्म काली चरनोई लगान 0.02 रू. संलग्न नक्षे अनुसार विभाजन की अंतिम डिक्री जारी की जाती है। प्रतिवादी सं. 4 को अंतिम डिक्री अनुसार अमलदरामद की डिक्री जारी की जाती है।

इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

नोज शून्य मुबलिग शून्य बाबत् खर्चा इसा मुकदमे के मय सुद व शरह शून्य प्रतिशत सालाना आज की तारीख से तारीख वसुलयाबी तक शून्य का अदा करे।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत के आज दिनांक 19 / 12 / 2023

गोपाल लाल बंजारा
उपखण्ड अधिकारी

मुदई	रूपया पैसा	मुद्ववायलह	रूपया पैसा
स्टाप की अरजी दावा	शून्य	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य
स्टाम्प वहज सबुत	शून्य	मेहनतनामा वकील	शून्य
मेहनतनामा वकील	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य
बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	मुतफरीक	शून्य
मुतफरीक	शून्य		शून्य


 उपखण्ड अधिकारी
 बांसवाड़ा (राज.)